

190

निग/2842/II/15

297

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा (म0प्र0)



Rs. 20/-

रामबहोर तनय शिवदीन राम मिश्रा उम्र 80 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम जमुआर
तहसील बहरी जिला सीधी (म0प्र0) ————— आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम्

1. भगवानदास मिश्रा तनय स्व0 श्री राममुनि राम मिश्रा
2. गोविन्द प्रसाद तनय स्व0 श्री राममुनि राम मिश्रा
3. गौरीशंकर मिश्रा तनय स्व0 श्री राममुनि राम मिश्रा

सभी निवासी ग्राम, पो0 जमुआर तहसील सिहावल जिला सीधी (म0प्र0)

उत्तरवादीगण

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश न्यायालय
श्रीमान् तहसीलदार तहसील सिहावल
जिला सीधी (म0प्र0) के प्रकरण क्र0
293/अ-12/2011-12 आदेश दिनांक
28.06.2012

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू
राजस्व संहिता 1959

मान्यवर ,

निम्नांकित पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

- 1- यह कि पारित आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया, तथ्यों, सहज न्याय सिद्धान्तों की मनसा के प्रतिकूल होने से काबिल निरस्तगी है।
- 2- यह कि ~~अनावेदकगण~~ आवेदकगण के पिता स्व0 राममुनि राम द्वारा ग्राम जमुआर तत्कालिन तहसील सिहावल जिला सीधी की आराजी क्र0 1074, 1075, 1077, 1065, 1066, 1057, 1058/2, 1059 कित्ता 8 योग रकवा 1.09 हे0 के

M

रामबहोर

A

श्री शक्ति दाशुपेय
27-7-15
भारत
न्यायालय
रिवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.2842-II / 2015

जिला-सीधी

रामबहोर राम मिश्रा/भगवानदास मिश्रा

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रवि पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिहावल के प्रकरण क्रमांक 293/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 28.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 09.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिहावल, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p>	

[Handwritten mark]

[Signature]
(बी.एम.शर्मा),
सदस्य

[Handwritten mark]